

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1615]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 14, 2014/श्रावण 23, 1936

No. 1615]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 14, 2014/SHRAVANA 23, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2014

का.आ. 2060(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1035(अ), तारीख 7 मई, 2010 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, केरल राज्य के संबंध में क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित का विलोप किया जाएगा:—

"17	केरल राज्य में कर्नाटक/केरल सीमा - कन्नूर	किमी 18.000 से किमी 148.000''
-----	---	-------------------------------

[फा. सं. एनएच-14013/10/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1035 (अ), तारीख 7 मई, 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

3205 GI/2014 (1)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2014

S.O. 2060(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1035(E), dated the 7th May, 2010, namely:—

In the Table to the said notification, the following entries in respect of the State of Kerala, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:—

"17	From Karnataka/Kerala Border-Kannur in the State of From km. 18.00	0 to km. 148.000
	Kerala	

[F. No. NH-14013/10/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note: The principal notification was published vide number S.O. 1035 (E) dated the 7th May, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2014

का.आ. 2061(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 485(अ), तारीख 26 फरवरी, 2010 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, केरल राज्य के संबंध में क्रमश: कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित का विलोप किया जाएगा :—

"17 केरल राज्य में कन्नूर - वेंगलम – कुट्टीपुरम किमी 148.00 से किमी 318.0	00"
---	-----

[फा. सं. एनएच-14013/10/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण : मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 485 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2014

S.O. 2061(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 485(E), dated the 26th February, 2010, namely:—

In the Table to the said notification, the following entries in respect of the State of Kerala, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:—

"17	Kannur-Vengalam-Kuttipuram in the State of Kerala	From km. 148.00 to km. 318.00"

[F. No. NH-14013/10/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note: The principal notification was published vide number S.O. 485(E), dated the 26th February, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2014

का.आ. 2062(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्द्वारा तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातु:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 12 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

सारणी

(1)	(2)	(3)	
"12.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17, रारा सं. 47 [किमी 182.040 से किमी 358.750	केरल राज्य	
	(तमिलनाडु/केरल सीमा से कोच्चि) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 47ए, रारा सं. 49,	सरकार	
	रारा सं. 208, रारा सं. 212, रारा सं. 213 और रारा सं. 220 के उतने भाग जो केरल		
	राज्य में अवस्थित हैं ।		

[फा. सं. एनएच-14013/10/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार का.आ. 1396 (अ), तारीख 28 मई, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2014

S.O. 2062(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the Schedule to said notification, for serial number 12 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"12	So much of National Highways No. 17, No. 47	State Government of Kerala
	[excluding from km. 182.040 to km. 358.750 (from	
	Tamil Nadu/Kerala Border to Kochi], No. 47A, No. 49,	
	No. 208, No. 212, No. 213 and No. 220 as are situated	
	within the State of Kerala.	

[F. No. NH-14013/10/2014-P&M] MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note : The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 1396(E), dated the 28th May, 2014.